तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **भगवान सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी** **अपील संख्या 2022/728**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.23	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर) के पत्रांक एफ.19(8)()प्रकोष्ठ/संआज/2023/12 दिनांक 06.01.2023 से टिप्पणी प्राप्त जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक(क-3/शिका) विभाग जयपुर को कार्यालय समसंख्यक पत्रांक 601 दिनांक 07.10.2022 के अन्तरित किया गया है, बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना स्पष्ट नही होने के कारण दिया जाना संभव नही है जिसके सम्बन्ध में पत्रांक 602 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना बिन्दु संख्या 1 कार्यालय हाजा से सम्बन्धित नही होने से शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-2/शि.) विभाग जयपुर को अन्तरित किया गया है एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना में कारण आवश्यकता व औचित्य प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज चाहे गये है जो स्पष्ट नही होने से सूचना दिया जाना संभव नही है तथा इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 601 दिनांक 07.10.2022 द्वारा अवगत कराया जा चका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	